रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1994/आषाढ़ 25, 1916
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1994/ASADHA 25, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1994

सा. का. नि. 325—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक [illegible] करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मुख्यालय और क्षेत्र कार्यालय में ज्येष्ठ कनसोल आपरेटर, कनसोल आपरेटर और [illegible] प्रविष्टि आपरेटर, समूह 'ग' के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' इलैक्ट्रोनिक आंकड़े प्रक्रमण [illegible]) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार जो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को लागू होते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची —I

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंकड़े प्रविष्टि आपरेटर	50* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित अनुसचिवीय	1150-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पणी : 1. विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है; टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) बारहवां स्तर या समतुल्य ; और (ii) आंकड़े प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे से अन्यून की गति होनी चाहिए	लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (क) (i) संबंधित कार्यालयों के ऐसे लिपिक या समतुल्य जिसके न हो सकने पर भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के भीतर के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने दो वर्ष सेवा की है। (ii) संबंधित कार्यालयों के ऐसे अभिलेखापाल और समतुल्य जिसके न हो सकने पर भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के भीतर के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष होगी।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनसोल आपरेटर	50* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण : 1. विभागीय अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा को शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए 'निर्णायक तारीख, अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख' होगी।

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन/कार्यक्रमण और प्रणाली उपयोजन डिप्लोमा/प्रमाणपत्र । (ii) आंकड़े प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे से अन्यून की गति होनी चाहिए ।	लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों दो वर्ष।

(11)	(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : संबंधित कार्यालयों के ऐसे लेखा परीक्षक या लेखाकार या समतुल्य जिसके न हो सकने पर भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास स्तम्भ 8 में विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष होगी।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं हो

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ कनसोल आपरेटर	50* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1600-50-2300-द.रो.-60-2660 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 बीच। टिप्पण 1 : वि अभ्यर्थियों के लि अधिकतम आयु शिथिल करने तक की है। टिप्पण 2 : आयु अवधारित करने लिए निर्णायक अभ्यर्थियों से दन प्राप्त होने अंतिम तारीख होगी

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन/कार्यक्रमण और प्रणाली उपयोजन डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (ii) आंकड़े प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रशन प्रति घंटे से अन्यून की गति होनी चाहिए।	लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) (i) संबंधित कार्यालयों के ऐसे ज्येष्ठ लेखापरीक्षक या ज्येष्ठ लेखाकार या समतुल्य जिसके न हो सकने पर भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के भीतर के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है; और जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष होगी।)

(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12018/7/93—ई.जी.]

अनुराधा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 28th June, 1994

G.S.R. 325.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Group 'C' posts of Senior Console Operators, Console Operators and Data Entry Operators in the Headquarters and filed offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely.—

1. Short title and commencement—(1) These may be called the Indian Audit and Account Departfent (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay:—Number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualification—No person,—

(1) Who has entered into or contracted a marriage wi[th] a person having a spouse living; or

(2) Who having a spouse living, has entered into or co[n]tracted a marriage with any person,

shall be eligble for appontment to any of the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General [of] India may, if satisfied that such marriage is permissible und[er] the personal law applicable to such person and the other pa[rty] to the marriage and that there are other grounds for so doi[ng], exempt any person from operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Comptroller and Audit[or] General of India is of the opinion that it is necessary [or] expedient so to do, he may, by order and for reasons to [be] recorded in writing, relax any of the provisions of these ru[les] with respect of any class of category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservatio[ns], relaxation of age limit and other concessions required to [be] provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, E[x-]servicemen and other special categories of persons in acc[or]dance with the orders issued by the Government of In[dia] from time to time in this regard as applicable to perso[ns] employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Whether benefit of a years of service admi under Rule 30 of the tral Civil Service (Pe Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Data Entry Operator	50* (1994) *Subject to variation depending on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1150-25-1500	Not Applicable	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment direct recruitment or promotion or by deputati transfer and percentage the vacancies to be filled various methods.
7	8	9	10	11
Between 18 to 25 years Note: For departmental candidates the upper age limit may be relaxed upto 35 years. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.	(i) 12th standard pass or equivalent, and (ii) should possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work.	Not Applicable	2 years for direct recruits only.	By transfer on deputati failing which by dir recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfers to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
TRANSFER ON DEPUTATION (a) (i) Clerks or equivalent of the respective offices failing which from other officers within IA&AD with 2 years regular service. (ii) Record Keepers and equivalent of the respective offices failing which from other offices within IA&AD with 3 year regular service, and (b) Possessing the educational qualifications as in column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three (3) years. The maximum age limit for transfer on deputation shall be 56 years on the last date of receipt of application).	Not Applicable	Not Applicable

1	2	3	4	5	6
Console Operator	50* (1994) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200.	Not Applicable	Not Applicable

7	8	9	10	11
Between 18 and 25 years Note 1 : For departmental candidates the Upper age limit may be relaxed upto 35 years. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.	(i) Degree of a recognised University or a diploma/certificate in computer application/programming and systems application from a recognised institute. (ii) Speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work.	Not Applicable	2 years for direct recruits only.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

12	13	14
TRANSFER ON DEPUTATION Auditor or Accountant or equivalent of respective offices failing which from other offices within IA & AD with 3 years regular service, and possessing the qualifications as in column (8). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three(3) years. The maximum age limit for transfer on deputation shall be 56 years on the last date of receipt of application).	Not Applicable	Not Applicable

1	2	3	4	5	6
Senior Console Operator	50* (1994) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Between 18 and 25 years Note 1 : For departmental candidates the upper age limit may be relaxed upto 35 years. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.	(i) Degree of recognised University or a diploma/certificate in computer application/programming and systems application from a recognised institute. (ii) Should possess a speed of not less than 8000 Key depressions per hour for data entry.	Not applicable	2 years for direct recruits only.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

12	13	14
TRANSFER ON DEPUTATION Senior Auditor or Senior Accountant or equivalent in respective offices failing which from other offices within IA&AD with 4 years regular service, and possessing the qualifications as in column (8). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three (3) years. The maximum age limit for transfer on deputation shall be 56 years on the last date of receipt of application).	Not applicable	Not applicable

[F. No. A-12018/7/93—EG.]

ANURADHA PRASAD, Under Secy.